फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 148 / 2024

उनवानः– रामफूल वगै. बनाम बिरदीचंद वगै.

पत्रावली आज दिनांक 02.05.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 करवाई गई थी। बावजूद सूचना अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित है अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी संख्या 2 की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा पेश किया गया है मूलवाद में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़ें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता नम्बर नया 99 पुराना 98 में खसरा नम्बर 550 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 553 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 561 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 562 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 641 रकबा 0.7800 हैक्टैयर, खसरा नंबर 642 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 643 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 646 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 647 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 648 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, पटवार हल्का लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner